न्यायालय–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – नरेन्द्र कुमार मीना, आर.जे.एस.
दीवानी मूल वाद संख्या – 34/209/15
सी0आई0एस0 संख्या – 395/2015

भारतीय स्टेट बैंक शाखा थानागाजी जरिये शाखा प्रबंधक श्री नीरज जोशी।

.....वादी

बनाम

विजय कुमार टांक पुत्र भैरू सहाय टांक निवासी ग्राम प्रतापगढ अलवर रोड, प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....प्रतिवादी

वाद बाबत वसूली ऋण रूपए 77404/– रूपये

उपस्थिति –

1. श्री बी.एस. अधलखा, अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांक :–16.03.2026**

1. वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत उपरोक्त शीर्षकाधीन वादपत्र न्यायालय में दिनांक 05.12.2015 को इस आशय के अभिवचनों का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी ने वादी बैंक से मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट के व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.11.2011 को आवेदन किया। जिस पर वादी बैंक ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दिनांक 17.12.2011 को 1,50,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया। प्रतिवादी ने उक्त ऋण को स्वीकार कर वादी बैंक के हक में ऋण की सभी शरायतों को सुन व समझकर स्वीकार करके उनसे स्वयं को पाबंद करते हुए वादी बैंक के हक में आवश्यक दस्तावेज इकरारनामा, अरेन्जमेंट ऑफ लॉन हमहाईपोथेशन, अरेंजमेंट लेटर आदि निष्पादित किये। प्रतिवादी ने वादी बैंक से यह तय पाया कि वह जिस कार्य के लिये ऋण ले जा रहा है उस ऋण को उसी काम में लेगा तथा नियमित रूप से अपना कार्य जारी रखेगा तथा नित्य कार्य संचालन से प्राप्त आय राशि को बैंक में नियमनुसार जमा करायेगा। ऋण वो ब्याज की अदायगी किश्तों में करेगा तथा कुल रकम पर फलावटी ब्याज अलग से अदा करेगा, ऋण चुकता होने से पूर्व ऋण से खरीदशुदा

परिसम्पति वादी बैंक के पास दृष्टि बंधक रहेगी। प्रतिवादी लिये गये ऋण पर ब्याज दर 9.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रतिमाह ब्याज अदा करेगा तथा मासिक किश्त 3700/– रूपये व उस पर आयद फलावटी ब्याज अलग से अदा करेगा तथा किश्त माह 1 अप्रेल 2012 से प्रत्येक माह से नियमित रूप से अदा करेगा। ब्याज दर रिजर्व बैंक के द्वारा घटाई बढाई जा सकेगी। इन शर्तों को सोच व समझ कर वादी के हक में प्रतिवादी ने इकरारनामा, Agrrement of Loan& Cum Hypothection, अरेंजमेंट लैटर निष्पादित किया। प्रतिवादी ने वादी के यहां एक खाता खोला, जो खाता खुल जाने पर प्रतिवादी ने कोटेशन लाकर वादी बैंक मे प्रस्तुत किया और ऋण की राशि का प्रतिवादी ने उपयोग किया। उक्त ऋण के संबंध में समस्त लेन देन एवं आयद ब्याज आदि का इन्द्राज वादी बैंक द्वारा नियमित रूप से खातों में किया जा रहा है। चूंकि बैंक कम्प्यूटराईज होने से पूर्व प्रतिवादी के समस्त लेन देन का हिसाब वादी द्वारा लेजर में किया जाता था व कम्प्यूटराईज होने के बाद कम्प्यूटर से समस्त इन्द्राज किया जाता है। इसलिये खातों एवं कम्प्यूटर से तैयार स्टेटमेन्ट की प्रति दावा हाजा के साथ पेश हैं। प्रतिवादी का जो भी लेन देन वादी बैक से हुआ उसका इन्द्राज वादी बैंक द्वारा नियमित रूप से रखे गये खातों में किया जाता रहा हैं। जो ब्याज आयद हुआ अथवा जो राशि प्रतिवादी ने जमा करवाई तथा जो खर्चा प्रतिवादी के जिम्मे आया उसका सम्पूर्ण विवरण स्टेटमेंन्ट ऑफ एकाउन्ट जो मैनेजर द्वारा नियम अनुसार सत्यापित है और जिन कुल रकुमात के इन्द्राज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनैस में नियमित रूप में रखे जाते है और जिनमें समय–समय पर इन्द्राज किया जाता है जो बैंक के कब्जे में है जिसकी प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ पेश है। प्रतिवादी द्वारा जिन शर्तों पर ऋण बैंक से प्राप्त किया उसके मुताबिक अदायगी नहीं की तथा वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी से व्यक्तिगत सम्पर्क किये व कई बार पत्र द्वारा भी सम्पर्क किया गया व काफी तलब तकाजे किए, किन्तु प्रतिवादी द्वारा नियमित रूप से किश्तों का भुगतान नहीं किया गया तथा ऋण से खरीदशुदा स्टॉक का समय समय पर निरीक्षण नहीं कराया। इस प्रकार प्रतिवादी ने कम्पोजिट ऋण इकरारनामा की शर्तों को जानबूझकर भंग किया है। जिस कारण से वादी की कुल बकाया राशि प्रतिवादी से एक मुश्त मांग पर देय हो गई प्रतिवादी की और दिनाकं 11.05.2015 तक ग्यारह मई सन् दो हजार पन्द्रह तक राशि 77404/– रूपये वाजिबुल बकाया निकलते हैं। जिस राशि को प्रतिवादी बावजूद तकादे के अदा नहीं कर रहा है। वादी ने प्रतिवादी को अपने वकील से

पंजिकृत डाक से नोटिस दिलाया, जिसका उसने कोई जबाव नहीं दिया। प्रतिवादी ने बैंक के हक में दिनांक 26.11.14 को वादी बैंक के हक बकाया राशि होना मानते हुये पुनः परिवर्तन पत्र निष्पादित किया जो दावा हाजा के साथ पेश है। इसके पहले भी वादी बैंक ने लिखित व मौखिक रूप से काफी तलब तकाजे प्रतिवादी से किये गये किन्तु प्रतिवादी ने बकाया ऋण की अदायगी नहीं की और टाल बाल करता रहा। दिनांक 25–09–15 को प्रतिवादी ने अदायगी से साफ इन्कार कर दिया। जिससे दावा हाजा पेश करना लाजिम आया हैं। मुताबिक बैंक स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट दिनांक 11.05.2015 तक राशि 77404/– रूपये वाजिबुल बकाया निकलेते है तथा ओयन्दा ब्योज तारीख 12–05–2015 से दौराने दावा तारीख वसूली तक वर्तमान ब्याज दर 13.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से वादी बैंक प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादी से 51,123.41/– रूपये 13.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक दिनांक 01.03.2015 से दिलाये जाने का निवेदन किया।

2. प्रतिवादी पर पर्याप्त तामील होने के उपरांत भी प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 02.04.2016 से अमल में लाई गई।

3. वादी के अभिवचनो एवं पत्रावली पर अवस्थित सामग्री के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2016 को निम्न विवाद्यक विरचित किया गयाः–

1. आया वादी बैंक प्रतिवादी से दिनांक 11.05.2015 तक मय ब्याज राशि 77404.00/– रूपये एवं उक्त राशि पर 12.05.2015 से वसूली तक ब्याज प्राप्त कर राशि वसूल करने का अधिकारी है ?

2. अनुतोष।

4. उक्त विवाद्यक में पर वादी की ओर से एकतरफा में गवाह पी0ड01 सतीश चंद का साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया गया जिसने न्यायालय में परीक्षित होकर दस्तावेज ट्रम लॉन प्रदर्श 1, स्वालम्बन योजना फार्म प्रदर्श 2, मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना आवेदन पत्र प्रदर्श 3, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रदर्श 4, कोटेशन हजारीलाल, मोहनलाल क्लॉथ मर्चेन्ट प्रदर्श 5, दिनांक 15.11.2011 कोटेशन प्रदर्श 6, शपथ पत्र विजय कुमार प्रदर्श 7, रिवाईवल लेटर प्रदर्श 8, अरेन्जमेन्ट लेटर

प्रदर्श 9, अरेन्जमेन्ट लॉन हाईपोथेशन प्रदर्श 10, स्टेटमेन्ट ऑफ अटेन्शन प्रदर्श 11 को प्रदर्शित करवाये तथा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिर किया। जिस पर साक्ष्य वादी एकपक्षीय बंद की गई।

5. प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाहीं एक पक्षीय होने से प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ।

6. बहस अंतिम एक पक्षीय सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । सुसंगत विधिक प्रावधानो का मनन किया। विरचित किए गए विवाद्यको पर निष्कर्ष निम्न प्रकार से है :–

7. **<u>विवाद्यक संख्या–1</u> :** वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में गवाह पी0ड0–1 सतीश चंद को पेश कर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा शपथ पत्र पर वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए साक्ष्य प्रस्तुत की गई। उक्त गवाह ने न्यायालय में अपने सशपथ बयानो के दौरान शपथ पत्र स्वयं द्वारा पेश किये जाने एवं उसमें कथित तथ्यों का अपने ज्ञान में सही होना कथन करते हुए दौराने साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ट्रम लॉन प्रदर्श 1, स्वालम्बन योजना फार्म प्रदर्श 2, मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना आवेदन पत्र प्रदर्श 3, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रदर्श 4, कोटेशन हजारीलाल, मोहनलाल क्लॉथ मर्चेन्ट प्रदर्श 5, दिनांक 15.11.2011 कोटेशन प्रदर्श 6, शपथ पत्र विजय कुमार प्रदर्श 7, रिवाईवल लेटर प्रदर्श 8, अरेन्जमेन्ट लेटर प्रदर्श 9, अरेन्जमेन्ट लॉन हाईपोथेशन प्रदर्श 10, स्टेटमेन्ट ऑफ अटेन्शन प्रदर्श 11 को प्रदर्शित कराए है।

8. वादी की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादी द्व ारा प्रतिवादी के ऋण आवेदन पत्र पर रेडिमेड गारमेन्ट के व्यवसाय के लिए मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के तहत 1,50,000/– रूपये का ऋण 17.12.2011 को स्वीकृत किया जाकर प्रतिवादी के हक में समस्त शर्तो से स्वयं को पाबंद करते हुए दस्तावेज निष्पादित किया जाना प्रकट है तथा यह भी प्रकट है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त ऋण की राशि की अदायगी 3700 रूपये प्रतिमाह की किश्त के अनुसार 60 किश्तो में की जानी थी किन्तु प्रतिवादी द्वारा ऋण लिए जाने के समय प्रतिपादित की गई शर्तो का उल्लंघन करते हुए ऋण अदायगी नहीं की गई। जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी होती है। प्रतिवादी द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खंडन नहीं किया गया है तथा तामील होने के उपरांत प्रतिवादी न्यायालय में

उपस्थित नहीं आया, जिस पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा वादपत्र एवं प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खंडन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं समर्थन में प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वादी इस विवाद्य क को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

9. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादी बैंक प्रतिवादी से बकाया राशि रूपए 77404/– प्राप्त करने का अधिकारी है। जहां तक वादी बैंक को प्रतिवादी से 13.25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलवाए जाने का प्रश्न है, यद्यपि उक्त ब्याज दर तय होना वादी बैंक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त ब्याज दर प्रचलित नहीं है तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान में प्रचलित बैंक ब्याज दर 6.00 प्रतिशत वार्षिक दर से वादी बैंक को उक्त बकाया राशि पर ब्याज दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं उपरोक्तानुसार वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय तौर पर डिक्री किए जाने योग्य है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

10. परिणामतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी बाबत वसूली रूपए 77,404/– रूपये (अक्षरे सत्तहतर हजार चार सौ चार रूपये मात्र) एकपक्षीय रूप से मय खर्चा डिक्री किया जाता है। वादी उक्त राशि पर दावा दायरी से तावसूली तक 6.00 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रतिवादिया से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश, थानागाजी
जिला – अलवर

11. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश, थानागाजी
जिला – अलवर